-: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद जिला अजमेर :-

पीठासीन अधिकारी -देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :- 159/2024

उनवान

रामलाल पुत्र भैरूलाल जाति कुमावत निवासी ग्राम श्रीनगर, नसीराबाद
--वादी :-जरियें अधिवक्ता श्री जितेन्द्र गुर्जर

बनाम

1. कन्हैयालाल पुत्र हरिशचन्द्र जाति यादव निवासी ग्राम श्रीनगर, नसीराबाद
2. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

--प्रतिवादीगण :- 1 जरियें अधिवक्ता श्री नितेश यादव
2 जरियें राज. पैरोकार

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व धारा 131 भू राजस्व अधिनियम 1956

-: निर्णय :- दिनांक :- 12.2.25

अधिवक्ता वादी ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम श्रीनगर के हाल खसरा नम्बर 5055 व 5056 की आराजी वादी ने जरियें पंजीबद्व विक्रय पत्र दिनांक 18.10.2017 को क्रय कर कब्जा व दखल प्राप्त कर लिया था। विक्रय पत्र का नामान्तकरण दर्ज कर तरमीम करते समय वादी के उक्त खसरा नम्बर को हाल खसरा नम्बर 9701/5056 की जगह तरमीम कर दिया, जो कि प्रतिवादी संख्या 1 की खातेदारी का है। खसरा नम्बर 5056 के स्थान पर खसरा नम्बर 9701/5056 तरमीम कर दिया। जिस कारण मौके पर विवाद की स्थिति हो गयी हैं। अतः आराजी मुतनाजा का राजस्व मानचित्र दुरूस्त किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रतिवादी संख्या 1 ने जरियें पंजीबद्ध विक्रय पत्र दिनांक 09.01.2016 को खसरा नम्बर 5056 रकबा 0.35 मे से [illegible] आराजी क्रय की थी, जो खसरा नम्बर 5075 के लगायत थी। उक्त [illegible] तरमीमी खसरा नम्बर 9701/5056 रकबा 0.23 है। वाद पत्र स्वीकार [illegible] की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 17:35:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

रा. पैरोकार ने जवाब नही पेश करना जाहिर किया।

प्रकरण में खण्डन नही होने के कारण तनकी कायम नही की गयी।

अधिवक्ता वादी ने वाद के समर्थन में राजस्व अभिलेख पेश किये तथा साक्ष्य नही पेश कना जाहिर किया। अधिवक्ता प्रतिवादी ने भी प्रकरण में साक्ष्य नही पेश करना जाहिर किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्तागण व राज.पैरोकार की बहस पर मनन किया। ग्राम श्रीनगर के हाल खसरा नम्बर 5055 रकबा 0.72 व 5056 रकबा 0.12 की आराजी वादी की खातेदारी की है। हाल खसरा नम्बर 9701/5056 रकबा 0.23 प्रतिवादी संख्या 1 की खातेदारी की है। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा हाल खसरा नम्बर 5056 रकबा 0.35 में से 0.13 की आराजी कय की थी। विकय पत्र अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 ने खसरा नम्बर 5075 के लगता हुआ खसरा नम्बर 5056 का हिस्सा कय किया था। वादी की खातेदारी खसरा नम्बर 5055 व 5056 के वंर्किग खसरा नम्बर 4589 व 4590 है। उक्त दोनो खसरा नम्बर वंर्किग मानचित्र में एक दूसरे से लगायत है। हाल खसरा नम्बर 5055 व 5056 के बीच में हाल खसरा नम्बर 9701/5056 रकबा 0.23 अंकित कर दिया जबकि उक्त खसरा नम्बर प्रतिवादी संख्या 1 की अन्य खातेदारी भूमि हाल खसरा नम्बर 5056 के स्थान पर अंकित होना था। पत्रावली में सलंग्न पटवारी रिपोर्ट अनुसार भी उक्त कथन की ताईद होती है। प्रतिवादी संख्या 1 ने भी वाद के कथनों को स्वीकार किया है। राजस्व मानचित्र में दुयसती करने से प्रतिवादी के हितों पर कोई विपरित प्रभाव नही पडेगा। वादी पत्र व सलंग्न दस्तावेज से वाद के कथनों की ताईद होती है। आराजी मुतनाजा के राजस्व मानचित्र को दुरूस्त करने से खातेदारी अधिकार व भूमि के रकबे पर कोई परिवर्तन नही होना है।

उक्तानुसार वादी का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद ग्राम श्रीनगर के हाल राजस्व मानचित्र में हाल खसरा नम्बर 5056 के स्थान पर खसरा नम्बर 9701/5056 व खसरा नम्बर 9701/5056 के स्थान पर खसरा नम्बर 5056 अंकित करने की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिकी जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 17:35:55 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमें इब्तदाई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

रामलाल बनाम कन्हैयालाल

दावा बाबत :– 88, 188 राज. का. अधि0 1955 व धारा 131 व 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व मुकदमा नम्बर – 159/2024
पेश करने की दिनांक – 01.08.2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक जितेन्द्र गुर्जर व नितेश यादव व राज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

वादी का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद ग्राम श्रीनगर के हाल राजस्व मानचित्र में हाल खसरा नम्बर 5056 के स्थान पर खसरा नम्बर 9701/5056 व खसरा नम्बर 9701/5056 के स्थान पर खसरा नम्बर 5056 अंकित करने की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक —— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक कौअदा करे।

बदस्तखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 12 माह 2 सन् 2025 को जारी की गयी।

मुदईः	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा	स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वकालतनामा	स्टाम्प अरजी
स्टाम्प वजह सबूत	मेहनताना वकील
मेहनताना वकील	खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर	फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान	बाबत् इजराय हुक्मनामा
बाबत् इजराय हुक्मनामा	मुतफरिक
मुतफरिक	
मिजान	मिजान

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 17:35:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद